

साथील उपरिष्ठ पत्रों के आधार पर निम्नलिखित बातें

क्रमांक

21/25

दिनांक 19-09-25

निर्णय :-

पट्टी नं. अमृत सिंह का अमृत सिंह नामक पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मोरसो में स्थित अमृत सिंह नामक जमीन का जालू जमावदों सन् 2082 के खाता संख्या 5 में खातेदार अमृत सिंह के नाम में अंकित है जो सम्मानजनक रूप से अंकित किया जावे। पट्टी नं. अमृत सिंह के खातेदार अमृत सिंह से करवाने पर पट्टवारी ने अमृत सिंह के बजाय अमृत सिंह के बजाय अमृत सिंह करना उचित बताया। तहसीलदार अमृत सिंह ने भी उक्त खाते में अतः पट्टवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मोरसो राजस्थान पुलिसारत (मि. जमिलेख) नियम 1957 के नियम 369 के खाता संख्या 5 में खातेदार अमृत सिंह के स्थान पर सम्मानजनक रूप से अमृत सिंह नाम दर्ज करवाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार एवं पट्टवारी को उक्त निर्णय में पुरस्कृत करें।

- 14
उपसचिव-अधिकारी
(Land Record Officer)
जिला नारायणपुर